9.11.2021 प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किए जाने पर पत्रावली. आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 18 जीजी में पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.08.2021 अनुसार वाद का निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2071—2074 चक 2 एल एल पटवार हल्का 4 एल एल भू. अभि. नि. श्रेत्र गोन्दिपुरा का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के पैतृक होने का कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व श्रीगगांनगर को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के स्टाम्प शुल्क की गणना करवाकर स्टाम्प शुल्क राजकोष मे जमा करवाये जाने के पश्चात ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे। राजीनामा दिनांक 24.08.2021 डिक्री का भाग माना जावे।

निर्णय कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 18 जीजी में मजमेआम सुनाया गया।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

उम्मेद सिंह रतनू
(R.A.S)
सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सीपीसी)

परिशिष्ट घ संख्यांक–1

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : उम्मेद सिंह रतनू आरएएस कैम्प कोर्ट : ग्राम पंचायत 18 जीजी

प्र.सं. 12/2021

जीसीएमएस : 2021/16

1. गुरनाम सिंह पुत्र श्री फौजा सिंह जाति खत्री निवासी 2 एल.एल. धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. जगवीर सिंह पुत्र श्री फौजा सिंह जाति खत्री निवासी 2 एल.एल. धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. मंगल सिंह पुत्र श्री फौजा सिंह जाति खत्री निवासी 2 एल.एल. धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल मकान नम्बर 3560, सैक्टर नम्बर 71 मोहाली चण्डीगढ(पंजाब)
4. गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री फौजा सिंह जाति खत्री निवासी 2 एल.एल. धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—वादीगण

बनाम

1. बचन सिंह पुत्र श्री फौजा सिंह जाति खत्री निवासी 2 एल.एल. धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद 41 एच. ब्लाक श्रीगंगानगर।
2. गुरदर्शन कौर पत्नी श्री बचन सिंह जाति खत्री निवासी 2 एल.एल. धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद 41 एच. ब्लाक श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांकः— 09.11.2021

वादीगण और प्रतिवादीगण उपस्थित। वादीगण, प्रतिवादीगण एवं पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद के आज अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती हैं किः—

निर्णय कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 18 जीजी में मजमें आम सुनाया गया।

पत्रावली दायर नम्बर से कम होकर बाद तकमीसा जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। राजीनामा दिनांक 24.08.2021 को डिक्री का भाग पढ़ा जावे। तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के स्टाम्प शुल्क की गणना करवाकर स्टाम्प शुल्क राजकोष मे जमा करवाये जाने के पश्चात ही राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

डिक्री आज दिनांक 09.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(उम्मेद सिंह रतनू)

सहायक कलक्टर एवं

कार्यपालक दण्डनायक

(कैम्प कोर्ट) श्रीगंगानगर